



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2191]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 7, 2017/श्रावण 16, 1939

No. 2191]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 7, 2017/SRAVANA 16, 1939

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2017

का.आ. 2492(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का मंथन नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) तीन सौ पैंतीसवां संशोधन नियम, 2017 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।
2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,—
(क) "नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 11 का लोप किया जाएगा;
(ख) "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय" शीर्षक के अधीन,—
(i) प्रविष्टि 4 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
"4क. (i) जैव ईंधनों के संबंध में समग्र समन्वय;
(ii) जैव ईंधनों पर राष्ट्रीय नीति;
(iii) जैव ईंधनों और इसके सम्मिश्रित उत्पादों का विपणन, संवितरण और खुदरा विक्रय;
(iv) जैव ईंधनों के उत्पादन में सहायता के लिए नीति/स्कीम;
(v) जैव ईंधनों का सम्मिश्रण तथा सम्मिश्रण नियतन जिनके अंतर्गत ऐसे सम्मिश्रण के लिए मानक निर्धारित करना भी है;
(vi) राष्ट्रीय जैव ईंधन विकास बोर्ड की स्थापना और विद्यमान संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करना; और
(vii) जैव ईंधनों के परिवहन, अचल और अन्य अनुप्रयोगों संबंधी अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन।";
(ii) प्रविष्टि 5क का लोप किया जाएगा।

राम नाथ कोविन्द
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/21/10/2017-मंत्रि.]
रचना शाह, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th August, 2017

S.O. 2492(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Thirty Fifth Amendment Rules, 2017.
- (2) They shall come into force at once.
2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in THE SECOND SCHEDULE,—
 - (a) under the heading “MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (NAVEEN AUR NAVIKARNIYA OORJA MANTRALAYA)”, entry 11 shall be omitted;
 - (b) under the heading “MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (PETROLEUM AUR PRAKRITIK GAS MANTRALAYA)”,—
 - (i) after entry 4, the following entry shall be inserted, namely:—

“4A. (i) Overall coordination concerning bio-fuels;

(ii) National Policy on Bio-fuels;

(iii) marketing, distribution and retailing of bio-fuels and its blended products;

(iv) policy/scheme for supporting manufacturing of bio-fuels;

(v) blending and blending prescriptions for bio-fuels including laying down the standards for such blending;

(vi) setting up of a National Bio-fuel Development Board and strengthening the existing institutional mechanism; and

(vii) research, development and demonstration on transport, stationary and other applications of bio-fuels.”;
 - (ii) entry 5A shall be omitted.

RAM NATH KOVIND
PRESIDENT

[F. No. 1/21/10/2017-Cab.]
RACHNA SHAH, Jt. Secy.